संख्या–3/20/33–3–2019–02/2016

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
पंचायतीराज,
उ0प्र0।

2– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक–16 दिसम्बर, 2019**

विषयः– 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान वर्ष 2018–19 हेतु आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–11011/4/2017–एफ0डी0, दिनांक–22.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित मार्गनिर्देशों के क्रम में चयनित ग्राम पंचायतों की सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– अवगत कराना है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत 90 प्रतिशत धनराशि बेसिक ग्राण्ट के रुप में तथा 10 प्रतिशत धनराशि परफार्मेंस ग्राण्ट के रुप में उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के 14वें वित्त आयोग के निष्पादन अनुदान हेतु ग्राम पंचायतों से आवेदन प्राप्त कर पात्र ग्राम पंचायतों को धनराशि वितरण हेतु पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–11011/4/2017–एफ0डी0, दिनांक–22.02.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निष्पादन अनुदान 2018–19 हेतु निम्नवत् कार्यवाही कराने का कष्ट करें:–

निष्पादन अनुदान हेतु निर्धारित मानक–प्रदेश में ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान की धनराशि का मात्राकरण उनकी उपलब्धियों के आकड़ों एवं योग्यता हेतु अनुबन्ध–1 में दिये गये मानकों पर मूल्यांकन करते हुए ग्राम पंचायतों को वितरित की जायेगी। अनुबन्ध–1 के अनुसार निम्न चार मानकों को पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायतें ही अंक प्राप्ति हेतु अर्ह होगीं:–

i. ग्राम पंचायतों को उस वर्ष के संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे जो कि उस वर्ष, जिसमें ग्राम पंचायतों ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से पिछले दो वर्षो (वर्ष 2015–16 व 2016–17) से अधिक पुराने न हो।

ii. ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोत्तरी दर्शानी होगी जैसा संपरीक्षित लेखाओं में दर्शाया गया (वर्ष 2015–16 के सापेक्ष वर्ष 2016–17 की स्थिति) हो।

iii. कार्य निष्पादन अनुदान के वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) को पूरा किया गया हो तथा कार्य योजना को प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया हो।

iv. कार्य निष्पादन अनुदान का दावा किए जाने वाले वर्ष के पूर्व के वर्ष 2017–18 का 14वॉ वित्त आयोग अनुदान का कार्यवार व्यय पंचायतीराज मंत्रालय के डैश बोर्ड/वेबसाईट पर प्रदर्शित हो।

ग्राम पंचायतों द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वयं की आय का ग्राम निधि–1 अथवा राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की सम्पत्तियों की नीलामी तथा अन्य प्राप्तियों, जो कि ग्राम पंचायत की आय हैं एवं समेकित ग्राम निधि में जमा है का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर इस अवधि का संशोधित ऑडिट (लेखा परीक्षा/सी.ए.) कराकर आवेदन कर सकेंगी।

ग्राम पंचायतें, जिन्होंने उपर्युक्त चार अनिवार्य मानकों को पूरा कर लिया है, का मूल्यांकन भारत सरकार के अनुबन्ध–1 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निम्न अंक पद्धति से किया जायेगा:–

(1) ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व में वित्तीय वर्ष 2015–16 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में वृद्धि होनी चाहिए। > 0 से 10 प्रतिशत वृद्धि पर 05 अंक, 10 से 25 प्रतिशत वृद्धि पर 10 अंक, 25 से 50 प्रतिशत वृद्धि पर 15 अंक तथा 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि पर 20 अंक प्रदान किया जायेगा।

(2) ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान के दावे के पिछले वर्ष 2017–18 के 14वें वित्त आयोग के मूल अनुदान से लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार वर्ष 2017–18 में स्वयं के राजस्व में वृद्धि होनी

चाहिए। > 0 से 10 प्रतिशत वृद्धि पर 15 अंक, 10 से 20 प्रतिशत वृद्धि पर 20 अंक, 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि पर 30 अंक तथा 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि पर 40 अंक प्रदान किया जायेगा।

(3) ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान दावे के वर्ष की तुलना में पूर्व वित्तीय वर्ष (2017–18) में ग्राम पंचायत के खुले में शौच मुक्त होने की स्थिति में 30 अंक प्रदान किया जायेगा। शौच मुक्त न होने की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

(4) ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान दावे के वर्ष की तुलना में पूर्व वित्तीय वर्ष (2017–18) में ग्राम पंचायत में पूर्ण टीकाकरण (0–2 वर्ष की आयु) होने की स्थिति पर 10 अंक प्रदान किया जायेगा। पूर्ण टीकाकरण न होने की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त मानकों को पूर्ण करने वाली ग्राम पंचायत को भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुबन्ध–1 में जनपद स्तरीय समिति द्वारा अंको का निर्धारण किया जायेगा।

4– समस्त जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निष्पादन अनुदान वर्ष 2018–19 जनपद स्तर पर आवेदन प्रक्रिया हेतु समस्त सचिवों एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0)की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। समस्त विकास खण्डों में सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा समस्त प्रधानों की बैठक आयोजित कर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

5– निदेशक पंचायतीराज ग्राम पंचायतों से आवेदन आमन्त्रित करने हेतु राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी के सहयोग से पंचायतीराज विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन पोर्टल विकसित करायेंगे।

6– पंचायतीराज विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन किया जायेगा तथा साक्ष्यों को डिजिटल फार्म में उक्त पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु समस्त ग्राम पंचायतों को यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाये। ग्राम पंचायतें पोर्टल से आवेदन का प्रारुप डाउनलोड की सहायता से ऑनलाईन आवेदन करेंगी। प्रधान एवं सचिव नियत प्रारुप पर सही सूचनाएं तथा अभिलेख/साक्ष्य पोर्टल पर समयबद्ध रुप से अपलोड कर ऑनलाईन फ्रीज करेंगे।

7– जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदनों की सूचनाओं के परीक्षण हेतु अभिलेखों एवं साक्ष्यों को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को उपलब्ध करायेंगे। समिति जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रुटिहीनता व समयबद्धता से कार्य करेगी। समिति का विवरण निम्नवत है–

1. मुख्य विकास अधिकारी	–	अध्यक्ष
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	–	सदस्य
3. जिलाधिकारी द्वारा नॉमित उपजिलाधिकारी	–	सदस्य
4. जिलाधिकारी द्वारा नामित लेखा व वित्त विभाग के अधिकारी	–	सदस्य
5. जिला पंचायत राज अधिकारी	–	सदस्य/सचिव

समिति ग्राम पंचायतों की सूचना की सत्यता व अभिलेखों/साक्ष्यों का परीक्षण कर अर्ह व पात्र ग्राम पंचायतों के प्राप्तांकों की सूची पोर्टल पर जनपद स्तरीय नियत सारणी में अपलोड करेगी। समिति द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के पासवर्ड से जनपद स्तर के मूल्यांकन का विवरण फ्रीज कर जनपद के ग्राम पंचायतों के अर्हता/प्राप्तांकों का विवरण पोर्टल से डाउनलोड कर प्रिन्ट करने के उपरान्त प्रारुप पर समिति के सदस्यों से हस्ताक्षरित एवं जिलाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराकर चयनित सूची पी0डी0एफ0 फाइल में पोर्टल पर अपलोड कर दो प्रतियों में निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 को उपलब्ध करायेगी।

8– निष्पादन अनुदान वर्ष 2018–19 समस्त कार्यवाही हेतु निर्धारित समय सारणी निम्नवत् होगी:–

क्रम सं0	कार्यवाही का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादन अनुदान हेतु आवेदन किया जाना।	दिनांक–15.12.2019 से 31.12.2019
2.	जनपद स्तरीय समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त पोर्टल पर अनुबन्ध 02 अपलोड किये जाना।	दिनांक–01.01.2020 से 05.01.2020
3.	जनपद द्वारा पोर्टल पर अपलोड के उपरान्त अनुबन्ध 02 व पात्र ग्राम पंचायतों के अभिलेख निदेशालय में उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक–10.01.2020 तक

4.	निदेशालय द्वारा संकलित सूची व अन्य विवरण शासन को प्रेषित किया जाना।	दिनांक–20.01.2020 तक

जिला पंचायत राज अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे आवेदनकर्ता ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख साक्ष्य विवरण (जिसके आधार पर ग्राम पंचायत के पात्रता व अंको का निर्धारण किया गया है) जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे।

उपरोक्त प्राप्त सूचनाओं के समयबद्ध संकलन, निर्णय लेने, प्रदत्त सूत्र के अनुसार धनराशि का फॉण्ट तैयार करने तथा सूची प्रेषण हेतु राज्य स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:–

1. निदेशक पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश – अध्यक्ष
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय – सदस्य
3. उपनिदेशक(पं0), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – सदस्य
4. उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, 14वॉ वित्त आयोग – सदस्य/सचिव

समिति निष्पादन अनुदान हेतु जनपद स्तर से प्राप्त पात्र ग्राम पंचायतों को प्राप्तांकों के आधार पर जारी मार्ग–निर्देश के अनुसार आवंटित धनराशि का फॉण्ट तैयार करेगी तथा ग्राम पंचायतवार फॉण्ट की सूची शासन को उपलब्ध करायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार निर्देशों को बिन्दुवार पालन करते हुए परफार्मेंस ग्राण्ट 2018–19 हेतु उक्त निर्देशों का समयबद्ध ढ़ंग से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव पंचायतीराज, मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. राज्य सूचना व विज्ञान अधिकारी योजना भवन, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

Dell/d/kranti/GO